भाकृअनुप–भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ।

दिनांकः 12 / 05 / 2026

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,(ऐ.के.एम.यू)
भाकृअनुप–आई.आई.एफ.एस.आर., मोदीपुरम, मेरठ।

महोदय,

निवेदन है कि संस्थान के मुख्य प्रक्षेत्र एवं सिवाया प्रक्षेत्र पर स्थित फलदार पेड़ो के फलो की नीलामी का ठेका दिया जाना है। अतः उक्त सूचना संस्थान की बेवसाईट पर पुनः अपलोड करने की कृपा करे।(सलंग्नक निविदा प्रपत्र)

12/05/2.26

प्रभारी अधिकारी (प्रक्षेत्र)

<u>नीलामी सूचना</u>

भाकृअनुप–भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मोदीपुरम, मेरठ–250 110 (उ.प्र.)

फलदार वृक्षों के फलों के लिये समयावधि–18 मई 2026 से 28 फरवरी 2028 तक

संस्थान के फलदार वृक्षों के फलों की की निलामी के लिये इच्छुक ठेकेदारो/खरीददारों से मोहरबन्द निविदाओं के लिये दिनांक 13 मई 2026 से 18 मई 2026 दोपहर बाद 1 बजे तक संस्थान की वेब साईट https://www.iifsr.icar.org.in निविदा सूचना व विवरण डाऊनलोड कर सकते है। अथवा कार्य दिवसो में संस्थान के फार्म अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। निविदा 18 मई को अपरान्ह 2.30 बजे खोली जाऐगी।

प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र

D

भाकृअनुप–भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मोदीपुरम, मेरठ–250110 (उ.प्र.)

फलदार वृक्षों के फलों के लिये निविदा प्रपत्रः– अवधी 18 मई 2026 से 28 फरवरी 2028 तक

1. क्रेता का पूरा नामः...
2. क्रेता का पूरा पताः...
....
3. क्रेता का पूरा मोबाइल न.:..ईमेल पता..............................
4. आधार नम्बर (स्व–प्रमाणित फोटो कापी सहित)..

(न्यूनतम बोली रूपये दो लाख बीस हजार रुपए मात्र की होगी)

क्रेता द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त दरों की तालिकाः–

क्र.	फलदार वृक्षो के नाम व संख्या		
1.	**मुख्य प्रक्षेत्रः आई.एफ.एस.** (डा. आर. पी. मिश्रा),		नोटः–1.क्रेता दरें भरने से पूर्व वर्तमान फलदार पेडो की संख्या की गणना, नियम व शर्तें तथा वर्तमान स्थिति का अवलोकन/आंकलन अवश्य कर लें जिससे बाद में कोई विवाद न हों। 2.समस्त उपरोक्त फलवृक्षों की एकमुश्त दरें अंको और शब्दो में देना अनिवार्य है। 1–रुपऐ अंको में:– 2–रुपऐ शब्दो में:–
	आम	12 पेड	
	आंवला	04 पेड	
	बेल	11 पेड	
	अमरूद	170 पेड	
	कटहल	15 पेड	
	नींबू	40 पेड	
	सेब	08 पेड	
	आडू	05 पेड	
	केला	10 पेड	
	करोन्दा	130 मीटर	
	ड्रैंगन फ्रूट	95 पेड	
	पपीता	15 पेड	
	अनाशपाती	23 पेड	
	जामुन	2 पेड	
2.	**सिवाया फार्म पर** (डा. पूनम) प्रयोग के फलदार पेड		ठेकेदार का पूरा नाम व हस्ताक्षर मोबाइल नं– नोटः– निविदा के नियम एवं शर्ते सलंग्न हैं।
	आम आम्रपाली	47 पेड	
	आम दशहरी	85 पेड	
	अमरूद	102 पेड	
3.	**पुरानी बिल्डिंग परिसर में** आम का 1 पेड एवं केन्टीन के पीछे आम के 2 पेड		
4.	**टैक्नोलॉजीपार्क/आईएफएस मॉडल**		
	अमरुद	24 पेड	
	आम	10 पेड	
5.	**आग्रेनिक/प्राकृतिक मॉडल(टैक्नोलॉजीपार्क)**		
	अमरुद	25 पेड	
	अजींर	13 पेड	

P.T.O

नीलामी के नियम व शर्तें

1. निविदादाता/क्रेता को खरीद की दरें अंको व शब्दों दोनों में एक मुश्त भरना अनिवार्य हैं।
2. निविदादाता/क्रेता को बागवानी के फलदार वृक्षों के फलों की रखवाली, तुडाई बिना वृक्षों को क्षति पहुंचाये स्वंय के श्रमिकों से ही कराना होगा तथा तुडाई के बाद उसका वजन करवाकर व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी को नोट करवाकर स्वयं के साधन से ले जाना होगा। निविदा 18 मई 2026 से 28 फरवरी 2028 तक के लिए होगी।
3. न्यूनतम बोली रूपये 2,20,000/—(दो लाख बीस हजार रुपए)की होगी ।
4. निविदादाताओं को धरोहर राशि के रूप में रूपये 35,000/— डिमांड ड्राफ्ट, जो ICAR Unit IIFSR, Modipuram के नाम देय होगा, अथवा रुपये 35,000/—नकद निविदा प्रपत्र के साथ लगाना/ जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 13 मई 2026 से 18 मई 2026 दोपहर 1,00 बजे तक संस्थान की वेबसाईट **https://www.iifsr.icar.org.in** से डाऊनलोड कर सकते हैं अथवा फार्म अनुभाग से दिनांक 13 मई 2026 से 18 मई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक निःशुल्क प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरे हुये मोहरबन्द लिफाफे में रखकर दिनांक 18 मई 2026 को दोपहर बाद अधिकतम 2 बजे तक संस्थान के रिसेप्शन कक्ष में रखी निविदा पेटिका में जमा कराना/डालना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुये मोहरबन्द लिफाफे के उपर "फलदार वृक्षों के फलों की निलामी" व पता श्रीमान निदेशक महोदय, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ, पिन 250110 भी लिखा जाना है। उसी दिन दोपहर बाद 2.30 बजे समिति एवं उपस्थित निविदृदाताओं के समक्ष निविदाएं खोली जायेगी।
5. जिस सफल निविदादाता की दरें अधिकतम होगी उनकी निविदा की कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त प्रभाव से 05 कार्य दिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट द्वारा संस्थान में अनिवार्यतया जमा कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि को 15 फरवरी 2027 तक आवश्यकरुप से जमा करना आवश्यक होगा। यदि अधिकतम बोलीदाता किन्ही कारणों से निलामी से मुकरता या बोली खुलने के पश्चात बोली लेने में अपनी असहमती दर्शाता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त की जाएगी एवं किसी भी दशा में जमानत राशि नहीं लौटाई जाएगी जिसके पश्चात निविदा/निलामी अगले क्रम में अन्य निविदादाता को देने का अन्तिम निर्णय संस्थान के निदेशक द्वारा ही लिया जा सकता है जिसमें किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं है। बोली सफल होने पर सफल निविदा दाता की जमानत धनराशि को छोडकर शेष अन्य निविदादाताओं की संलग्न जमानत धनराशि रुपये पैतीस हजार के डी.डी./नकद मूल रूप में वापिस कर दी जायेगी।
6. सभी फलदार वृक्षों के फलों की तुड़ाई की संविदा समाप्ति के उपरान्त समयावधि समाप्त होने तक क्रेता की जमा धरोहर राशि संस्थान में उसके द्वारा आवेदन करने पर ही वापस की जायेगी। यदि क्रेता वर्ष के दौरान नीलामी किये गये फलदार वृक्षों के फलों को छोड़ कर जाता है तो इसका वह स्वंय जिम्मेदार होगा और उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. निविदा प्रपत्र खोलते समय निविदादाताओं को समिति के समक्ष संस्थान के सभागार में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता/क्रेता को प्रयोग के वैज्ञानिकों को प्रत्येक प्रजाति से 5 किग्रा फल (आवश्यकतानुसार) प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिये देना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिये दिये जाने वाले फलों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। संबधित वैज्ञानिकों को दिये जाने वाले फलों के वजन का रिकार्ड संबंधित वैज्ञानिक/ अधिकारी कों दर्ज कराना अनिवार्य होगा जिससे प्रयोगात्मक विष्लेषण का सही आंकलन कार्यालय स्तर पर किया जा सके।
9. सभी फलों का वजन सबंधित वैज्ञानिको के रजिस्टर में दर्ज कराकर ही फलों को ले जाना होगा।
10. संस्थान द्वारा समय—समय पर फलदार वृक्षों के लिए सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जायेगा, एवं सिचाई, पौध सरंक्षण,कटाई—छंटाई एवं अन्य रसायनो का उपयोग संबन्धित वैज्ञानिको की जिम्मेदारी होगी एवं उक्त को संबन्धित विभागाध्यक्ष के संज्ञान में भी लाना अनिवार्य होगा। सिंचाई स्वयं क्रेता को ही करनी होगी। इसके साथ ही फलों और फल वृक्षों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भी क्रेता/ठेकेदार की ही होगी।
11. क्रेता को संस्थान के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ पूर्ण शालीनतापूर्वक व्यवहार करना होगा। किसी भी दशा में क्रेता अथवा उसके साथियों द्वारा कोई भी नुकसान अथवा गलत व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई क्रेता से ही की जायेगी और गलत व्यवहार करने पर सभी प्रकार की कार्रवाई संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
12. प्रक्षेत्र के सभी फलदार वृक्ष (परिसर स्थित आवासीय कालोनी के अतिरिक्त)ठेके में शामिल है। इनके फल ठेकाकर्ता के रहेगे।
13. नीलामी छोड़नें/संशोधन करने अथवा किसी भी स्तर/समय पर निलामी को रद्द करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास ही सुरक्षित रहेगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। इस संबध में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद अमान्य होगा।

निविदा के सभी नियम व शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार्य हैं।

निविदादाता का पूरा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षरः—

मोबाईल न—